सराहनीय कार्य
जनपद मुजफ्फरनगर

HELPLINE NUMBER 1930

प्रेस नोटः- दिनांक 18.09.2025

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा TRAI/ E.D/ CBI के अधिकारी बनकर वादी को DIGITAL ARREST कर 33,33,000/- रुपयों की ठगी करने वाले गिरोह के 02 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार।

गिरफ्तारअभियुक्तगण के कब्जे/निशांदेही से 39 सिमकार्ड, 21 एटीएम/ डेबिट कार्ड, 15 बैंक पासबुक, 13 मोबाईल फोन, 03 चैकबुक, 02 नोटबुक, 01 वाईफाई राऊटर, 01 LAN CABLE, 01 स्कूटी, 99,500/- रुपये नगद बरामद ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय "मेरठ जोन मेरठ" एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय "सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर" के निर्देशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद मुजफ्फनगर श्री संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इन्दु सिद्धार्थ, क्षेत्राधिकारी अपराध सुश्री ऋषिका सिंह एवं थाना प्रभारी साइबर क्राइम श्री सुल्तान सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 11.09.2025 को वादी द्वारा थाना साइबर क्राइम मुजफ्फरनगर को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया कि उसके फोन पर एक कॉल आयी जिसमें स्वंय को TRAI/ ED का अधिकारी बताते हुए कहा गया कि आपके द्वारा कैनरा बैंक में खाता खुलवाया गया है, जिसमें अवैध धन का लेन- देन बडी मात्रा में आपके द्वारा किया गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना दरियागंज दिल्ली पर आपके विरुद्ध शिकायत/ अभियोग दर्ज किया गया है, जबतक आपकी जाँच होगी तबतक आपको DIGITAL ARREST किया जाता है। इसके बाद दरियागंज पुलिस थाना, दिल्ली का LOGO लगा व्हाटसएप काल वादी पर आया, जिसमें अपने आपको दरियागंज थाने का IPS अफसर बताया तथा उपरोक्त केनरा बैंक के खाते में अवैध धन के लेन-देन की बात कही तथा इस बाबत वादी मुकदमा से एक प्रार्थना पत्र लिखवाकर लिया कि उसके द्वारा कोई भी अवैध गतिविधि नहीं की गयी है, इसके उपरान्त CBI अफसर का व्हाटसएप काल आया, जिसपर भी CBI का LOGO लगा

था, इसके द्वारा भी वही बात दोहराई गयी तथा वादी मुकदमा से फिर लिखित में एक प्रार्थना पत्र लिया गया तत्पश्चात माननीय न्यायालय का LOGO लगा नम्बर से व्हाटसएप काल आया जिनके द्वारा अपने आप को माननीय न्यायालय का जज बताते हुए खातों में अवैध लेनदेन की बात कही गयी तथा माननीय न्यायालय के सील मोहर लगे हुए एक कूट रचित लैटर पीडीएफ के माध्यम से मुकदमा वादी को भेजी गयी, जिसमें DIGITAL ARREST होने जैसी बातें लिखी थी तथा केस को पूरा खत्म करने के नाम पर वादी को डरा धमकाकर तथा भय में डालकर 33.33 लाख रुपये ठग लिये। इस प्रकार वादी मुकदमा से TRAI/ ED/ CBI / माननीय न्यायालय के न्यायाधीश बनकर वादी को MONEY LAUNDERING के फर्जी मामले में फंसाकर DIGITAL ARREST करते हुए 33,33,000/- रूपयों की धोखाधडी की गयी वादी से प्राप्त तहरीर केआधार पर थाना साइबर क्राइम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 29/2025 धारा 318(4),351 बीएनएस व 66सी,66डी आइटी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 18.09.2025 को उक्त घटना को कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर पुरकाजी बाइपास से भैंसानी मार्ग पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे/निशांदेही से 39 अदद सिमकार्ड, 21 एटीएम/ डेबिट कार्ड, 15 बैंक पासबुक, 13 मोबाईल फोन, 03 चैकबुक, 02 नोटबुक, 01 वाईफाई राऊटर, 01 LAN CABLE, 01 स्कूटी, 99,500/- रुपये नगद बरामद किये गये। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. निखिल गोयल पुत्र नरेश गोयल निवासी म0नं0 381 आनन्द विहार, गंगानगर थाना ऋषिकेश कोतवाली, जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड, उम्र करीब 32 वर्ष
2. हरप्रीत सिंह उर्फ हर्ष पुत्र चरनजीत सिंह मान निवासी पावर हाऊस चौक डोकरी घाटपारा थाना जद्दलपुर जनपद बस्तर छत्तीसगढ, उम्र करीब 24 वर्ष

वांछित/फरार अभियुक्त का नाम व पता-

1. राजू निवासी भिलाई छत्तीसगढ हाल पता ऋषिकेश

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 29/2025 धारा 318(4),351,336(3),338,339,340(2) बीएनएस व 66सी,66 डी आइटी एक्ट थाना साइबर क्राइम मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण-

- 39 सिमकार्ड
- 21 एटीएम/ डेबिट कार्ड
- 15 बैंक पासबुक
- 13 मोबाईल फोन
- 03 चैकबुक
- 02 नोटबुक
- 01 अदद वाईफाई राऊटर
- 01 LAN CABLE
- 01 अदद स्कूटी
- 99,500/- रूपये नगद

पूछताछ का विवरण- प्रारम्भिक पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हमारा साथी राजू निवासी भिलाई छत्तीसगढ जो वर्तमान में ऋषिकेश में ही रहता है, वह इस कार्य का सरगना है राजू ही छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, आदि राज्यों से बैंक खाते, एटीएम कार्ड, पासबुक, चैकबुक, सिमकार्ड , आदि भोले भाले लोगों को लालच देकर प्राप्त कर उनमें विदेशों में बैठे साइबर ठगों से सांठ गांठ कर पैसे डलवाता है, जिन्हें हम लोग एटीएम, चैक, आदि के माध्यम से कैश के रुप में निकाल लेते है, तथा निखिल गोयल व राजू उपरोक्त मिलकर अपना हिस्सा काटकर बाकि बचे पैसों की USDT खरीद कर विदेश में बैठे साइबर ठगों को भेज देते है।

अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज शिकायतों शिकायतों का विवरण:-

1. खाता सं0 8111763425, के विरुद्ध 26 करोड 29 लाख 70 हजार 450 रु0 की धोखाधडी की 07 शिकायतें
2. खाता सं0 8110679816, के विरुद्ध 5 करोड 41 लाख 60 हजार रु0 की धोखाधडी की 02 शिकायतें
3. खाता सं0 60494332366, के विरुद्ध 3 करोड 43 लाख 50 हजार रु0 की धोखाधडी की 03 शिकायतें
4. खाता सं0 8095146054, के विरुद्ध 3 करोड 36 लाख 53 हजार रु0 की धोखाधडी की 01 शिकायत
5. खाता सं0 5792695072, के विरुद्ध 2 करोड 95 लाख रु0 की धोखाधडी की 09 शिकायतें
6. खाता सं0 25790110108932, के विरुद्ध 1 करोड 91 लाख 85 हजार रु0 की धोखाधडी की 04 शिकायतें

7. खाता सं0 8111743181, के विरुद्ध 1 करोड 72 लाख 50 हजार 491 रु0 की धोखाधडी की 04 शिकायतें
8. खाता सं0 8125589722, के विरुद्ध 44 लाख 07 हजार रु0 की धोखाधडी की 01 शिकायत
9. खाता सं0 8111917842, के विरुद्ध 43 हजार 250 रु0 की धोखाधडी की 01 शिकायत
10. खाता सं0 8093582796, के विरुद्ध 42 लाख 65 हजार रु0 की धोखाधडी की 02 शिकायतें
11. खाता सं0 8113858861, के विरुद्ध 42 लाख रु0 की धोखाधडी की 03 शिकायतें
12. खाता सं0 110205384684, के विरुद्ध 15 लाख 25 हजार रु0 की धोखाधडी की 07 शिकायतें

नोटः- अभियुक्तगण से बरामद बैंक खातों के विरुद्ध अभी तक 46 करोड 55 लाख 09 हजार 191 रुपये की ज्ञात धोखाधडी की करीब 44 शिकायतें दर्ज है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हर्ष उर्फ हरप्रीत उपरोक्त द्वारा भी अपने यूको बैंक के खाता सं0 25790110108932 को साइबर अपराध में प्रयोग किया गया है, जिस पर 1 करोड 91 लाख 85 हजार रु0 की धोखाधडी की कई राज्यों से 04 शिकायतें दर्ज है तथा थाना साइबर क्राइम द्वारा अन्य शिकायतों/ अभियोगों की जानकारी भी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री सुल्तान सिंह, थाना साइबर क्राइम मुजफ्फरनगर।
2- उ0नि0 श्री गौरव चौहान, थाना साइबर क्राइम मुजफ्फरनगर।
3- उ0नि0 श्री धर्मराज सिंह , थाना साइबर क्राइम मुजफ्फरनगर।
4- उ0नि0 श्री जय शर्मा, थाना साइबर क्राइम मुजफ्फरनगर।
5- है0कां0 678 अवधेश कुमार, थाना साइबर क्राइम मुजफ्फरनगर।
6- है0का0 384 सुनील कुमार थाना साइभर क्राइम मुजफ्फरनगर।
7- कां0 1260 रोबिन कसाना, थाना साइबर क्राइम मुजफ्फरनगर।
8- का0 1255 अंकुर शर्मा, थाना साइबर क्राइम मुजफ्फरनगर।
9- कां0 592 राहुल कुमार, थाना साइबर क्राइम मुजफ्फरनगर।